FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुकाम करौली

जम्बो फिनवेस्ट (इंडिया) लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय – 102, कंचन अपार्टमेण्ट, एल.बी.एस. कॉलेज के सामने, तिलक नगर, जयपुर (राज.) जरिये प्राधिकृत प्रतिनिधि श्री यादवेन्द्र सिंह
– प्रार्थी संस्था

<u>बनाम</u>

1. श्री जगदीश प्रसाद मीणा पुत्र श्री गंगासहाय मीणा,, निवासी हनुमान कॉलोनी, ग्राम गहरोली, टोड़ाभीम दूसरा पता–घाट बालाजी, मेंहदीपुर बालाजी, तहसील टोड़ाभीम जिला करौली राज. 321610 – (ऋणी / बंधककर्ता)
2. श्री घनश्याम मीणा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद मीणा, निवासी हनुमान कॉलोनी, ग्राम गहरोली, टोड़ाभीम दूसरा पता–घाट बालाजी, मेंहदीपुर बालाजी, तहसील टोड़ाभीम जिला करौली राज. 321610 – (सहऋणी / बंधककर्ता)
3. श्रीमती प्रेमदेवी पत्नि श्री जगदीश प्रसाद, निवासी हनुमान कॉलोनी, ग्राम गहरोली, टोड़ाभीम जिला करौली राज. 321610 – सहऋणी
4. श्री शैलेश कुमार उपाध्याय पुत्र श्री जगदीश कुमार उपाध्याय, घाट बालाजी, हनुमान कॉलोनी, ग्राम गहरोली, तहसील टोड़ाभीम जिला करौली राज. 321610 – जमानती
5. श्री हरज्ञान सिंह मीणा पुत्र श्री भरतलाल मीणा, निवासी कायमपुर, नौरगवाड़ा, तहसील महुआ, जिला दौसा, राज. 321608 – जमानती

मु.नं.–38 / 19 कि.मु.–अंतर्गत धारा 14 सरफेशी एक्ट 2002 ता.रजु–18.12.2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
18.12.2019	प्रार्थी संस्था की ओर से श्री बृजेश गौड़, एडवोकेट द्वारा यह प्रार्थना पत्र The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of the Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत विरूद्ध ऋणी व सहऋणीगण से बंधक सम्पति का कब्जा दिलाये जाने बाबत् प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि ऋणी व सहऋणीगण ने प्रार्थी संस्था से 30,00,000 रूपये की ऋण सुविधा ली थी। उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में ऋणी व सहऋणीगण ने अपनी अचल सम्पति आवासीय खसरा नं. 7 / 360, हनुमान कॉलोनी, घाट बालाजी, ग्राम गहरोली, ग्राम पंचायत सांकरवाड़ा तहसील टोड़ाभीम जिला करौली पट्टा संख्या 11574 संकल्प संख्या 85 रकबा 293.33 वर्गगज एवं खसरा नं. 7 / 360, हदूद अरबा–पूर्व में रास्ता, पश्चिम में जगदीश मीणा का मकान, उत्तर में आम रास्ता, दक्षिण में जगदीश का प्लॉट हनुमान कॉलोनी, घाट बालाजी, ग्राम गहरोली, ग्राम पंचायत सांकरवाड़ा तहसील टोड़ाभीम जिला करौली पट्टा संख्या 11575 संकल्प संख्या 86 रकबा 277.77 वर्गगज हदूद अरबा–पूर्व में रास्ता, पश्चिम में जगदीश का मकान, उत्तर में जगदीश की भूमि, दक्षिण में प्रेमदेवी की भूमि है, जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो भी सम्पति के अभिन्न अंग है, को प्रार्थी संस्था के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। ऋणी व सहऋणीगण द्वारा ऋण राशि एवं ब्याज राशि को समय अवधि में जमा नहीं कराने के कारण अप्रार्थीगण / ऋणी व सहऋणीगण के खाता को दिनांक 05.05.2019 को N.P.A. (अनर्जक परिसम्पत्ति) घोषित कर दिया गया। प्रार्थी संस्था के दिनांक 22.06.2019 तक राशि 3004955 (तीस लाख चार हजार नौ सौ पचपन रुपये मात्र) रूपये व आज तक ब्याज एवं अन्य खर्चे ऋणी व	

सहऋणीगण पर बकाया निकलता है जिसको अप्रार्थीगण/ऋणी व सहऋणीगण के द्वारा जमा नहीं कराया गया है। प्रार्थी संस्था द्वारा सरफेशी एक्ट की धारा 13(2) का नोटिस रजिस्टर्ड दिनांक 12.07.2019 को ऋणी व सहऋणीगण को बकाया ऋण की अदायगी हेतु जारी किया गया और उनसे आग्रह किया गया कि वह इस नोटिस की प्राप्ति के 60 दिवस के अंदर समस्त बकाया रकम को मय ब्याज अदा करे किन्तु ऋणी व सहऋणीगण द्वारा नोटिस प्राप्ति के बावजूद भी निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी कोई राशि जमा नहीं कराई गई है। प्रार्थी संस्था द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बावजूद भी ऋणी व सहऋणीगण द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ऋण सुविधा प्राप्त करते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिये पुलिस की सहायता उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त बावत् ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थीगण/ऋणी व सहऋणीगण ने उपर्युक्त सम्पत्ति को प्रार्थी संस्था के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। प्रार्थी संस्था के द्वारा एक्ट की धारा 13(2) का नोटिस दिनांक 12.07.2019 को ऋणी व सहऋणीगण को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया तथा उक्त नोटिस की निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी ऋणी व सहऋणीगण द्वारा बकाया राशि जमा नहीं की गई है। प्रार्थी संस्था के द्वारा वसूली हेतु सभी तरह से प्रयास के बावजूद राशि वसूल नहीं कर पाने पर अंतिम रूप से उक्त एक्ट की धारा 14 के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण/ऋणी व सहऋणीगण के द्वारा ऋण सुविधा लेते समय बंधक रखी गई उपर्युक्त अचल सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने के लिये पुलिस सहायता हेतु निर्देश किया जाना उचित समझते है।

अतः उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ऋणी व सहऋणीगण द्वारा प्रार्थी संस्था से ऋण सुविधा लेते समय उक्त ऋण सुविधा के ऐवज में ऋणी व सहऋणीगण ने अपनी अचल सम्पति आवासीय खसरा नं. 7/360, हनुमान कॉलोनी, घाट बालाजी, ग्राम गहरोली, ग्राम पंचायत सांकरवाड़ा तहसील टोड़ाभीम जिला करौली पट्टा संख्या 11574 संकल्प संख्या 85 रकबा 293.33 वर्गगज एवं खसरा नं. 7/360, हदूद अरबा–पूर्व में रास्ता, पश्चिम में जगदीश मीणा का मकान, उत्तर में आम रास्ता, दक्षिण में जगदीश का प्लॉट हनुमान कॉलोनी, घाट बालाजी, ग्राम गहरोली, ग्राम पंचायत सांकरवाड़ा तहसील टोड़ाभीम जिला करौली पट्टा संख्या 11575 संकल्प संख्या 86 रकबा 277.77 वर्गगज हदूद अरबा–पूर्व में रास्ता, पश्चिम में जगदीश का मकान, उत्तर में जगदीश की भूमि, दक्षिण में प्रेमदेवी की भूमि है, जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो भी सम्पति के अभिन्न अंग है, को प्रार्थी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था, उसका भौतिक कब्जा लेने हेतु प्रार्थी संस्था को जरिये प्रतिनिधि अधिकृत किया जाता है। भौतिक कब्जा हस्तांतरण के दौरान तहसीलदार टोड़ाभीम कानून व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। पुलिस अधीक्षक करौली प्रार्थी द्वारा चाहे जाने पर प्रार्थी के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार नियमों के अनुरूप पुलिस सहायता उपलब्ध करावें।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2020.01.01 11:26:22 IST
Reason: SelfAttested
Location: